कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा मध्यप्रदेश

–:विविध–आदेश:–

(कार्य–विभाजन में संशोधन क0–14)

क्रमांक 60 /
दो–1–1/2000

रीवा, दिनांक 08/04/2024

मान्नीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 15 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर की नवीन पदस्थापना होने एवं श्रीमती नेहा रेहमान द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर मातृत्व अवकाश पश्चात् उपस्थित होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा–15 व 21 (4) तथा मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम 2011 के परिप्रेक्ष्य में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–10 की उपधारा–2 एवं 3 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक–216/दो–1–1/2000 दिनांक 17 मई 2023 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा:–

1. सरल क्रमांक–15 अ के पश्चात् 15–ब निर्मित कर निम्नानुसार इबारत जोड़ी जाती है:–

क्र.	न्यायालय का प्रकार	प्रादेशिक अधिकार	वादों का प्रकार
15 ब	श्री धर्मेन्द्र सोनी, 15 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	सिविल खण्ड	प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण।
		सत्र खण्ड	यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दांडिक अपीलें, दांडिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन–पत्र।

2. सरल क्रमांक–29 के स्तम्भ क्रमांक–2 में ''प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा'' के नाम के आगे लिखे ''रिक्त न्यायालय'' को विलोपित करते हुए स्तम्भ क्रमांक–03 में **''सिविल जिला रीवा''** को स्थापित किया जाकर स्तम्भ क्रमांक–4 में **''प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उनसे उद्भुत निष्पादन व विविध प्रकरण''** को जोड़ा जाता है।

3. सरल क्रमांक–30 के स्तम्भ क्रमांक–2 में ''द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा'' के नाम के आगे लिखे ''रिक्त न्यायालय'' को विलोपित करते हुए स्तम्भ क्रमांक–03 में **''सिविल जिला रीवा''** को स्थापित किया जाकर स्तम्भ क्रमांक–4 में **''प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उनसे उद्भुत निष्पादन व विविध प्रकरण''** को जोड़ा जाता है।

4. सरल क्रमांक–51 के स्तम्भ क्रमांक–2 में ''द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर' के नाम के आगे लिखे ''रिक्त न्यायालय'' को विलोपित करते हुए स्तम्भ क्रमांक–03 में **''सिविल जिला रीवा की तहसील त्योंथर''** को स्थापित किया जाकर स्तम्भ क्रमांक–4 में **''प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उनसे उद्भुत निष्पादन व विविध प्रकरण''** को जोड़ा जाता है।

5. सरल क्रमांक–53 के स्तम्भ क्रमांक–2 में ''द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर' के नाम के आगे लिखे ''रिक्त न्यायालय'' को विलोपित करते हुए स्तम्भ क्रमांक–03 में **''सिविल जिला रीवा की तहसील सिरमौर''** को स्थापित किया जाकर स्तम्भ क्रमांक–4 में **''प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उनसे उद्भुत निष्पादन व विविध प्रकरण''** को जोड़ा जाता है।

JSA

2673

6. परिशिष्ट–अ की कंडिका 15 अ के पश्चात् 15 ब निर्मित कर एवं कंडिका 27 के पश्चात् 27 अ एवं ब निर्मित कर एवं कंडिका क्रमांक 44, 45 एवं 46 विलोपित कर निम्नानुसार पढ़ा जावे :–

क.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में जो कार्य देखेगें
15–ब	15वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	1. 14वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा 2. तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
27 अ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	1. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा 2. पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
27 ब	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	1. पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा 2. षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
44	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर	1. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर 2. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर
44 अ	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर 2. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर की न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश
45	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर	1. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर 2. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा
46	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर 2. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा

शेष आदेश यथावत रहेंगे।

Sd/-
(सुबोध कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0 1821 /
दो–1–1 / 2000

रीवा, दिनांक 08 / 04 / 2024

प्रतिलिपिः–

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय
   रीवा / मउगंज / त्यौंथर / सिरमौर / हनुमना / मनगवां।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा / मउंगज / त्योंथर / सिरमौर / हनुमना / मनगवां।
   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सिस्टम ऑफिसर की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
4. कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा को संबंधित न्यायाधीशगण के ई–मेल एड्रेस में भेजने हेतु।
5. फाईलिंग काऊंटर रीवा / मउगंज / त्यौंथर / सिरमौर / हनुमना / की ओर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)